RTI / Speed post —

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX. 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/33/2016-17 03 जून, 2016

सेवा में,
श्री संपत झा,
पुराना गीदम नाका, राजेन्द्र नगर वार्ड,
जगदलपुर जिला बस्तर, छत्तीसगढ़।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

उपरोक्त विषय में कृपया अपने दिनांक 25 मई, 2016 के पत्र का संदर्भ ग्रहण करे जिसके साथ आपने दस रूपये का भारतीय गैर न्यायिक स्टांप संलग्न कर सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन किया है जोकि मान्य नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु शुल्क बैंक चैक द्वारा/डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या मनीआर्डर द्वारा डी.डी.ओ. या लेखा अधिकारी को भेजा जाता है, आपको सलाह दी जाती है कि आप उक्त तरीके में से किसी एक द्वारा फीस जमा कर सूचना हेतु आवेदन करें तदोपरांत यदि सूचना इस सचिवालय में उपलब्ध होगी तो आपको भेजी जायेगी। अत: आपका पत्र मूल रूप में वापस लौटाया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

O/C

6/6/2016

RTI No-33

Vice President's Secretariat प्रति
Dy.No. 459
Date 3/6/1
New Delhi

जन सूचना अधिकारी,
महामहीम उपराष्ट्रपति कार्यालय
नई दिल्ली

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रोफेसर अर्चना प्रसाद से जुड़ी निम्न जानकारी बाबत्।

–00–

महोदय,

निवेदन है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सी.आई.एस. एण्ड एस.एस. विभाग की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद ने विगत 12 मई 2016 से 16 मई 2016 तक बस्तर संभाग का दौरा किया था। जिस बात की पुष्टि उन्होनें स्वयं प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से किया है। न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों में भी तत्संबंधी खबरें प्रकाशित हुई थी तथा उनके दौरे से जुड़ी शिकायत भी ग्राम सौतनार, नामा एवं कुमाकोंलेंग के ग्रामीणों ने पुलिस थाने में दर्ज करवाई हुई है। हमें इनके बस्तर प्रवास से जुड़ी निम्न जानकारी सूचना के अधिकार के तहत् उपलब्ध करवायें।

1. 12 मई 2016 से 16 मई 2016 तक का अर्चना प्रसाद के प्रस्तावित बस्तर दौरा/कार्यक्रम की सत्यापित प्रति ।
2. यदि दौरा व्यक्तिगत रहा तो अर्चना प्रसाद द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन से लिये गये अवकाश स्वीकृत आदेश/पत्र की सत्यापित प्रति ।
3. अर्चना प्रसाद द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन से बस्तर प्रवास हेतु ली गई अनुमति आदेश/पत्र की सत्यापित प्रति ।
4. अर्चना प्रसाद के बस्तर प्रवास/दौरा का प्रयोजन आदेश/पत्र की सत्यापित प्रति ।

भवदीय

S Jha

संपत झा,
पुराना गीदम नाका, राजेन्द्र नगर वार्ड,
जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ

सूचना के अधिकार का शुल्क रु. 10 का स्टांप संलग्न।
स्टांप नोट – 17 AA 855...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

13AA 855416

सूचना के अधिकार का आवेदन

प्रति

जन सूचना अधिकारी
महामहिम उपराष्ट्रपति कार्यालय
नई दिल्ली

सूचना के अधिकार का शुल्क रु. 10 का स्टांप संलग्न

दिनांक - 25/5/2016

आवेदक
संपत शा